



**"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"**  
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सेवा में,  
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
हमीरगढ़

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम ओष्वाड़ा की जमावन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 826, 565, 517, 353 में जल्दी नाम का छोटा कच्चा है पत्थर लड़ी नाम का खाली व खाली (संशोधन) से नारायण डा. हड़गा अर्थात् हड़गा अर्थात् हड़गा अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक 09/09/2025

प्रार्थी:  
नारायण लाल

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,  
निवेदन है कि ग्राम ओष्वाड़ा के राजस्व रिकॉर्ड जमावन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 826, 565 में प्रार्थी का नाम नारायण डा. हड़गा दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंगन नारायण डा. हड़गा व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम नारायण डा. हड़गा है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. नारायण लाल

नारायण लाल  
रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

नारायण लाल  
पटवारी  
कोशल्या मेहता  
भू.अ.नि. नारायण लाल  
तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी नारायण लाल व भू.अ.नि. नारायण लाल एवं प्रार्थी द्वारा सलंगन दस्तावेज के आधार पर ग्राम ओष्वाड़ा की जमावन्दी संवत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 826, 565, 517, 353 में प्रार्थी का नाम नारायण डा. हड़गा के बजाय नारायण डा. हड़गा किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

09/09/2025

09/09/25  
तहसीलदार / नायब तहसीलदार  
नारायण लाल  
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम ओष्वाड़ा जमावन्दी संवत् 2075-2078 खाता संख्या 826, 565, 517, 353 में दर्ज प्रार्थी का नाम नारायण डा. हड़गा के स्थान पर नारायण डा. हड़गा संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी  
नारायण लाल

नारायण लाल  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़ (राज.)